

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर 2014—भाद्र 10, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-57-2014-1-पांच (44).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश विक्रय कर (केंद्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं;

अतएव, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विक्रय कर (केंद्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) प्ररूप 5 में, भाग ड में,—

- (क) सारणी के कालम (17) में, अक्षर अंक और शब्द “ई 1/ई 2 क्रमांक” के पश्चात् शब्द, “यदि उपलब्ध हो” जोड़े जाएं;
- (ख) टिप्पणी में, विद्यमान टिप्पणी अनुक्रमांक 1 के रूप में क्रमांकित की जाए और इस प्रकार क्रमांकित अनुक्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“2 इनवाईस विवरण, अनुसूची/भाग/प्रविष्टि और बिल्टी/रेल्वे रसीद का विवरण ऐच्छिक है.”

(2) प्ररूप छह में, सारणी में,—

- (क) कालम (2) में, शब्द “टिन” के स्थान पर, शब्द “क्रेता व्यापारी का टिन” स्थापित किए जाएं;

(ख) कालम (4) और (5) को उसके कालम (6) और (7) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनःक्रमांकित कालम (6) के पूर्व, निम्नलिखित कालम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“घोषणा प्ररूप का प्रकार (सी, आई, एफ, एच/ बिल आफ लेडिंग) (4)	विक्रय मूल्य (सीएसटी सहित) /स्टॉक ट्रांसफर मूल्य (5).”.
---	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-57-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-57-2014-1-पांच (44), दिनांक 1 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 1st September 2014

No. F-A-3-57-2014-1-V (44).—WHEREAS the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 should be made;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in Form V, in Part E,—

- (a) in column (17) of the table, after the letters, figures and word “E 1/E 2 No.” the words, “if available” shall be added;
- (b) in the note, the existing note shall be numbered as serial number 1 and after serial number 1 as so numbered the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“2. Invoice details, Schedule/Part/Entry and Builty/Railway Receipt details are optional.”.

(2) in Form VI, in the table,—

- (a) in column (2) for the word “TIN”, the words “TIN of purchasing dealer” shall be substituted;
- (b) column (4) and (5) shall be renumbered as column (6) and (7) thereof and before the column (6) as so renumbered, the following columns shall be inserted, namely :—

“Type of Declaration Form (C, I, F, H/Bill of Lading) (4)	Sale Value (including CST) /Stock Transfer Value (5).”.
---	---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.